न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

मुन्नीराम बागड़िया
आर0 ए0 एस0

निगरानी संख्या :– 11/2016

1. करणी सिंह पुत्र स्व0 नत्थू सिंह, जाति राजपूत, निवासी अलसीसर, जिला झुन्झुनू।
2. मदन सिंह करणी सिंह पुत्र स्व0 नत्थू सिंह, जाति राजपूत, निवासी अलसीसर, जिला झुन्झुनू।

–निगरानीकारगण

बनाम

1. ग्राम पंचायत, अलसीसर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2. पंचायत समिति अलसीसर जरिये विकास अधिकारी अलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3. रामनिवास मीणा पुत्र नोरंगराम जाति मीणा निवासी अलसीसर तहसील मलसीसर, जिला झुंझुनू।

– गैर निगरानीकारगण

निगरानी अ0धा0 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994
विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.8.2016 पंचायत समिति अलसीसर
अपील संख्या 10/20015 करण सिंह वगैरा बनाम ग्राम पंचायत अलसीसर
ग्राम पंचायत अलसीसर के पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.12.2009 को निरस्त करने हेतु

उपस्थिति :–
1. श्री सुभाष चन्द्र, एडवोकेट – निगरानीकारगण की ओर से।
2. श्री रफीक खान, एडवोकेट – गैर निगरानीकार की ओर से

–निर्णय–

दिनांक :– 28.05.2018

उक्त उनवानी निगरानी विरूद्ध आदेश विरूद्ध निर्णय दिनांक 26.8.2016 पंचायत समिति अलसीसर अपील संख्या 10/20015 करण सिंह वगैरा बनाम ग्राम पंचायत अलसीसर के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि– पंचायत समिति अलसीसर के प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निगरानीकार को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर वास्तविकता की स्थिति तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये निगरानीकार की अपील में अवैध निर्णय दिनांक 26.8.2016 को पारित कर अपील खारिज की गई है जो निर्णय अपास्त होने योग्य है। ग्राम पंचायत अलसीसर के सरपंच द्वारा गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध व बिना अधिकार के गैर निगरानीदारान सं0 3 रामनिवास मीणा को रास्ता आम की भूमि पर पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.12.2009 को जारी किया गया जब कि रास्ता की भूमि के भाग का कानूनन पट्टा जारी करने

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

बाबत ग्राम पंचायत को कोई अधिकार हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा दिनांक 05.12.2009 अवैध तथा गैर कानूनी होने की सूरत में खारिज योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.8.2016 जो दिया गया है वह पंचायत एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। पंचायत एक्ट के सामान्य नियम में स्पष्ट है कि रास्ते की भूमि का प्राईवेट बातचीत के जरिये पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पंचायत एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निर्णय दिनांक 26.8.2016 पारित करते हुये अपील खारिज की गई है जो निर्णय कानूनन निरस्त योग्य है। गैर निगरानीकार सं0 3 रामनिवास मीणा के हक में पट्टा उसके रिहायसी घर का ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया है। उस पटटा में उतरी तरफ रास्ता आम 27 फुट दर्ज है ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि 27 फुट चौड़ी रास्ते की भूमि में से 12 फुट गुणा 20 फुट का पट्टा ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा दिनांक 5.12.2009 को बिना अधिकार के गलतरूप से गुपचुप में जारी पटटा सं0 13 दिनांक 5.12.2009 को जारी किया गया है। यह पट्टा रास्ता आम की भूमि पर जारी किया गया है। भौतिक रूप से गैर निगरानीकार सं0 3 रामनिवास का कोई कब्जा व दखल मौके पर नहीं है और ना ही कोई दीवार व बाउंडी है, आज भी मौके पर रास्ता के रूप में भूमि स्थित है। पंचायत समिति द्वारा इस रास्ते बाबत अपने निर्णय में कोई जिक तक नहीं किया। रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में कानूनन पंचायत पट्टा जारी करने हेतु सक्षम नहीं होते हुये भी गैर कानूनी रूप से पट्टा संख्या 13 जो जारी किया गया है वो पंचायत एक्ट एवं नियमों के खिलाफ होने से पट्टा दिनांक 26.8.2016 निरस्त योग्य है एवं पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 26.8.2016 भी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ पंचायत समिति अलसीसर द्वारा अपील में दर्ज तथ्यों व पंचायत एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। मौके पर रास्ता होने के संबंध में कोई गौर नहीं फरमाया गया। निगरानीकार के पट्टेसुदा रिहायसी मकान वादगस्त रास्ते के पश्चिम व उतर में स्थित है जिस पर दक्षिणी रास्ते पर गेट खुलता चला आ रहा हैह। इस गेट के ठीक आगे वादग्रस्त पटटा संख्या 13 जो रास्ता की भूमि का है, उस पर निगरानीकार का पुख्ता गेट व आवागमन मौके पर है तथा इस रास्ते से ग्रामवासी व राहगीर आवागमन हेतु मौके पर उपयोग उपभेग में लेते चले आ रहे हैं। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनरस्थ पंचायत समिति अलसीसर का निर्णय दिनांक 26.08.2016 को अपास्त करते हुये ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05. 12.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

निगरानी पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकार को तारीख पेशी की सूचना नकल निगरानी के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान वकील निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि – पंचायत समिति अलसीसर के प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा निगरानीकार को सुनवाई का कोई अवसर दिये बगैर वास्तविकता की स्थिति तथा कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुये निगरानीदार की अपील में अवैध निर्णय दिनांक 26.8.2016 को पारित कर अपील खारिज की गई है जो निर्णय अपास्त योग्य है। ग्राम पंचायत अलसीसर के सरपंच द्वारा गैर कानूनी रूप से विधि विरूद्ध व बिना अधिकार के गैर निगरानीदारान सं0 3 रामनिवास मीणा को रास्ता आम की भूमि पर पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.12.2009 को जारी किया गया जब कि रास्ता की भूमि के भाग का कानूनन पट्टा जारी करने बाबत ग्राम पंचायत को कोई अधिकार हासिल नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर निगरानीकार के हक में जारी पट्टा दिनांक 5.12.2009 अवैध तथा गैर कानूनी होने की सूरत में खारिज योग्य है। गैर निगरानीकार संख्या 2 प्रशासन एवं स्थापना समिति द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.8.2016 जो दिया गया है वह पंचायत एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। पंचायत एक्ट के सामान्य नियम में स्पष्ट है कि रास्ते की भूमि का पट्टा प्राईवेट बातचीत के जरिये पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। पंचायत एक्ट के प्रावधानों के खिलाफ निर्णय दिनांक 26.8.2016 पारित करते हुये अपील खारिज की गई है जो निर्णय कानूनन निरस्त योग्य है। गैर निगरानीकार सं0 3 रामनिवास मीणा के हक में पट्टा उसके रिहायसी घर का ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी किया गया है। उस पटटा संख्या 98 में उतरी तरफ रास्ता आम 27 फुट दर्ज है ऐसी स्थिति में स्प ट है कि 27 फुट चौड़ी रास्ते की भूमि में से 12 फुट गुणा 20 फुट का पट्टा ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा दिनांक 5.12.2009 को बिना अधिकार के गलतरूप से गुपचुप में जारी पटटा सं0 13 दिनांक 5. 12.2009 को जारी किया गया है। यह पट्टा रास्ता आम की भूमि पर जारी किया गया है। भौतिक रूप से गैर निगरानीकार सं0 3 रामनिवास का कोई कब्जा व दखल मौके पर नहीं है और ना ही कोई दीवार व बाउंडी है, आज भी मौके पर रास्ता के रूप में भूमि स्थित है। पंचायत समिति द्वारा इस रास्ते बाबत अपनरे निर्णय में कोई जिक्र तक नहीं किया। रास्ते की भूमि के सम्बन्ध में कानूनन पंचायत पट्टा जारी करने हेतु सक्षम नहीं होते हुये भी गैर कानूनी रूप से पट्टा संख्या 13 जो

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनू

जारी किया गया है वो पंचायत एक्ट एवं नियमों के खिलाफ होने से पट्टा दिनांक 26.8.2016 निरस्त योग्य है एवं पंचायत समिति का निर्णय दिनांक 26.8.2016 भी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। अधीनस्थ पंचायत समिति अलसीसर द्वारा अपील में दर्ज तथ्यों व पंचायत एक्ट के प्रावधानों की अनदेखी की गई है। मौके पर रास्ता होने के संबंध में कोई गौर नहीं फरमाया गया। निगरानीकार के पट्टेसुदा रिहायसी मकान वादगस्त रास्ते के पश्चिम व उतर मेंस्थित है जिस पर दक्षिणी रास्ते पर गेट खुलता चला आ रहा हैह। इस गेट के ठीक आगे वादग्रस्त पटटा संख्या 13 जो रास्ता की भूमि का है, उस पर निगरानीकार का पुख्ता गेट व आवागमन मौके पर है तथा इस रास्तेसे ग्रामवासी व राहगीर आवागमन हेतु मौके पर उपयोग उपभेग में लेते चले आ रहे हैं। अंत में निगरानी पेश कर निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनरस्थ पंचायत समिति अलसीसर का निर्णय दिनांक 26.08.2016 को अपास्त करते हुये ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.12.2009 को निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील गैर निगरानीकार नंबर–3 ने बताया कि ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाई जाकर विधिवत रूप से पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत अलसीर द्वार नियुक्त कमीशन की निरीक्षण रिपोर्ट में पट्टे की वांछित भूमि पर श्री रामनिवास मीणा का कब्जा मानते हुये पटटा जारी करने की सिफारिश की गई है। उसके पश्चात निर्धारित अवधि तक आमजन से पटटा जारी करने के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा आबादी भूमि के मौके पर नोटिस चस्पा कर आपत्तिया मांगी गई हैं। नोटिस की समय सीमा तक ग्राम पंचायत अलसीसर में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर ग्राम पंचायत सदन में कोरम द्वारा पट्टा जारी करने का सर्व सम्मति से प्रस्ताव लिया गया और उसकी पालना में कर पटटा संख्या 13 निर्धारित शुल्क जमा दिनांक 05.12.2009 को पट्टा जारी किया गया। पंचायत समिति की स्थापना समिति द्वारा भी प्रकरण की जांच की गई है जिसने बाद जांच वादग्रस्त पट्टा सही एवं विधिसम्मत प्रकिया के तहत जारी होना पाया है और निगरानीकार की अपील पंचायत समिति अलसीसर द्वारा आधारहीन होने के कारण खारिज की गई है। पंचायत समिति के आदेश के विरूद्ध निगरानीक/अपील जिला परिषद को सुनने का क्षेत्राधिकार है । अतः निगरानीकार की निगरानी आधारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

अति. जिला कलेक्टर
झुंझुनूं

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में निगरानीकार द्वारा ग्राम पंचायत अलसीसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 05.12.2009 के विरूद्ध पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति के समक्ष अपील किये जाने पर पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति द्वारा अपील में प्रकरण का निस्तारण किया जा चुका है। निगरानीकार द्वारा यह निगरानी हाजा न्यायालय में पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.8.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97(क)में पंचायत समिति के किसी आदेश/निदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति इस प्रकार किये गये आदेश या निदेश के विरूद्ध अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद को ऐसे आदेश या निदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील करने के पावधान हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार निगरानीकार को पंचायत समिति अलसीसर के उक्त आदेश के विरूद्ध जिला परिषद में अपील/निगरानी प्रस्तुत करनी चाहिए थी। ऐसी स्थिति में पंचायत समिति अलसीसर की स्थापना समिति द्वारा पारित निर्णय 26.8.2016 कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित एवं न्यायोचित नहीं समझता। निगरानीकार उक्त आदेश के विरूद्ध समक्ष न्यायालय में अपील/निगरानी करने के लिए अब भी स्वतंत्र है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये निगरानीकार की निगरानी खारिज की जाती है। पंचायत समिति, अलसीसर द्वारा इस प्रकरण में पारित आदेश यथावत् रखे जाते हैं। मिसल ग्राम पंचायत अलसीसर निर्णय की प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(मुन्नीराम बागड़िया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं

निर्णय आज दिनांक 28.5.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया। हो।

(मुन्नीराम बागडिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुन्झुनूं